आप.प्र.क.: 985 / 2014

<u>न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट(म०प्र०)</u> (समक्षः डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्र.क.: 985 / 2014

संस्थित दिः 28 / 10 / 14

| मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द गढ़ी, | |
|--|------------------|
| जिला बालाघाट (म.प्र.) | अभियोगी |
| विरुद | |
| छोटेलाल धुर्वे पिता स्व. रामसिंह धुर्वे, उम्र 45 साल, जाति | गोंड, |
| निवासी जानपुर का पाडियाटोला थाना मलाजखण्ड जिला | बालाघाट (म.प्र.) |
| (2) | आरोपी |

—<u>:: निर्णय ::</u>—

(आज दिनांक 28/10/2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196. 77/177 के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 15.02.2014 को समय 10:30 बजे ग्राम सिजोरा पंचायत भवन के सामने मेन रोड थाना गढ़ी के अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल एच.पी. डिलक्स कमांक एम.पी.50/एम.जी.9705 को यह जानते हुए कि वाहन चालक दुर्गेश धुर्वे के पास वाहन चलाने का लायसेंस नहीं है फिर भी उक्त वाहन उसे चलाने हेतु दिया एवं उक्त वाहन को बिना बीमा कराये चलवाया तथा उक्त वाहन के आगे एवं पीछे बिना नम्बर लिखवाये बिना वाहन चलवाया।

आप.प्र.क.: 985 / 2014

- (02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है आरोपी छोटेलाल धुर्वे ने दिनांक 15.08.2014 को अपनी मोटरसाइकिल कमांक एच.पी. डिलक्स कमांक एम.पी. 50/एम.जी.9705 को उसके लड़के दुर्गेश धुर्वे उम्र 17 साल को बिना ड्रायविंग लायसेंस होते हुये भी व वाहन का इन्योरेश न होते हुये भी तथा वाहन के आगे व पीछे नम्बर न लिखवाते वाहन चलाने हेतु दिया। जिससे आरोपी छोटेलाल धुर्वे के लड़के दुर्गेश ने मोटरसाइकिल को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये सुवेतीनबाई को टक्कर मारने एवं फरियादी लामसिंह की रिपोर्ट पर से आरोपी दुर्गेश के विरूद्ध धारा 279, 337 भा.दं.वि. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 184 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया विवेचना में सुवेतीनबाई को फेक्चर होने से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 338 का इजाफा किया गया तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 4/181, 128/177, 146/196 बढ़ाई गई जिसका चालान कमांक 58/2014 दिनांक 13.09.2014 तैयार किया जो किशोर न्यायबोर्ड बालाघाट में पेश किया गया एवं आरोपी छोटेलाल धुर्वे के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 5/181, 146/196, 77/177 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
- (03) आरोपी को मेरे द्वारा मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196, 77/177 के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर पढकर सुनाई व समझाई गई।
- (04) आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :--
 - (1) क्या आरोपी ने दिनांक 15.02.2014 को समय 10:30 बजे ग्राम सिजोरा पंचायत भवन के सामने मेन रोड थाना गढ़ी के अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल एच.पी. डिलक्स कमांक एम.पी.50 / एम. जी.9705 को यह जानते हुए कि वाहन चालक दुर्गेश धुर्वे के पास वाहन चलाने का लायसेंस नहीं है फिर भी उक्त वाहन उसे चलाने हेतु दिया ?

- (2) क्या इसी दिनांक समय व स्थान पर आरोपी ने वाहन मोटरसाईकिल एच.पी. डिलक्स कमांक एम.पी. 50 / एम.जी.9705 को बिना बीमा कराये चलवाया ?
- (3) क्या इसी दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी वाहन मोटरसाईकिल एच.पी. डिलक्स क्रमांक एम.पी. 50 / एम.जी.9705 के आगे एवं पीछे बिना नम्बर लिखवाये वाहन चलवाया ?

—:: <u>सकारण — निष्कर्ष</u> ::—

आप.प्र.क.: 985 / 2014

विचारणीय बिन्दु कमांक 1, 2 एवं 3 :-

- (05) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत् रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2 एवं 3 का एक साथ विचार किया जा रहा है।
- (06) आरोपी को मेरे द्वारा मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196, 77/177 के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपीगण को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया ।
- (07) आरोपी के द्वारा मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196, 77/177 के अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196, 77/177 के आरोप में दोषी पाते हुए दोषसिद्ध टहराया जाता है।
- (08) अभियोजन द्वारा आरोपी के विरुद्ध पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः आरोपी का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। आरोपी के द्वारा अपराध की स्वेचछयापूर्वक स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।
- (09) आरोपी को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 के आरोप के अन्तर्गत 1000/— (एक हजार) के अर्थदण्ड एवं 146/196 के आरोप के अन्तर्गत 1000/— (एक

आप.प्र.क.: 985 / 2014

हजार) रूपये के अर्थदण्ड तथा 77/177 के आरोप के अन्तर्गत 100/— (एक सौ) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न किए जाने पर आरोपी को एक—एक माह के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे।

(10) प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल हीरो एच.पी. डिलक्स कमांक एम.पी.50 / एम.जी.9705 एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज सुपुर्दगी पर है । सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर,जिला, बालाघाट

) (डी.एस.मण्डलोई) थम श्रेणी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ॥ट बैहर, जिला बालाघाट